14.03.2026

पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रस्तुत हुई।

कार्यालय आख्या के अनुसार इस कैविएट प्रार्थनापत्र को 90 दिन का समय हो चुका है और इससे सम्बन्धित कोई मामला प्रस्तुत नहीं हुआ है, अतः यह कैविएट प्रार्थनापत्र निष्प्रयोज्य हो जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार प्रेषित हो।

`

(विकास कुमार–I)
जनपद न्यायाधीश,
मथुरा
I.D. No. UP 1910

Digitally signed by VIKAS KUMAR
Date: 2026.03.20 11:38:54 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court